राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...1521, 1522, 1523, 1524 एवं 1525/2017.....जिला.....जालौर.....

उनवान – मैसर्स गिटको होटल प्रा0लि0,बागोड़ा रोड, जालौर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर विभाग, जोधपुर 2. सहायक आयुक्त, वा.क.विभाग,जालौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2017	<u>एकलपीठ</u> <u>श्री नत्थूराम,सदस्य</u> यें पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक अपील संख्या 2,3,4,5, व 6/एलटीएच/जेओआ/17–18 आदेश दिनांक 04.10.2017 जिसमें कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 जो सहायक आयुक्त वा. कर,जालौर द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 7.2.2017 Rajasthan Tax on luxries (In Hotal and Lodging Houses) Act 1990 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 17, 20, 21 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह पांचों अपीलें धारा 38(4) सपठित अधिनियम 1990 धारा 28 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अ.सं.	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. के समक्ष स्थगित राशि	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4
1521/17	8,64,385	5,00,000	3,40,619
1522/17	4,25,853	2,00,000	2,13,755
1523/17	98,600	50,000	45,700
1524/176	2,34,133	1,50,000	76,995
1525/17	1,13,450	60,000	49,860

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पी.एम.चौपड़ा ने बहस के दौरान तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किये हैं। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया है। अतः शेष मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह है कि Luxuries Tax (in Hotels & Lodging Houses) Act, 1990 की धारा 34

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या ..1521, 1522, 1523, 1524 एवं 1525/2017.....जिला.....जालौर.....
उनवान – मैसर्स गिटको होटल प्रा0लि0,बागोड़ा रोड,जालौर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर विभाग जोधपुर 2. सहायक आयुक्त, वा.क.विभाग,जालौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	..... 2	
20.11.2017	के अनुसार आयुक्त के द्वारा ही जांच हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण में उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जांच हेतु निर्देशित किया गया है तथा धारा 33 के अनुसार आयुक्त द्वारा ही पत्रावली स्थानान्तरित की जा सकती है जबकि विचाराधीन प्रकरण में उपायुक्त द्वारा पत्रावली स्थानान्तरित की गई है व धारा 26(3) की भी पालना भी नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये उपरोक्त बिन्दु परीक्षण योग्य है जिससे प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व महत्वपूर्ण क्षति का मामला अपीलार्थी के पक्ष में बनता है जिससे स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाकर कर, ब्याज व शास्ति की वसूली तीन माह की अवधि या अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलें निर्णित होने की तिथि में से जो भी पूर्व हो तक, इस शर्त के साथ स्थगित की जाती है कि अपीलार्थी इस निर्णय पारित किये जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि योग्य जमानत प्रस्तुत करेंगे। विद्धान अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रता से यथासम्भव तीन माह की अवधि में करें। निर्णय सुनाया गया। (नत्थूराम) सदस्य	